जन–सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री कृष्णा माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 02/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000102634, क्षेत्रफल 3.9789 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 5,77,475 टी.पी.ए. (रोम), (सेलेबल बॉल क्ले–3,37,522.5 टी.पी.ए., सेलेबल सिलिका सेंड–1,41,715 टी.पी.ए. एवं वेस्ट–98,237.5 टी.पी.ए.) निकट ग्राम–खारी चारनान, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर, **{कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 35.5807 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–28,43,559 टी.पी.ए.(रोम)} में स्थित है,** में अप्रधान खनिज बॉल क्ले एवं सिलिका सेंड के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के प्रतिनिधि श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता की उपस्थिति में **ग्राम पंचायत भवन खारी चारनान, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर** में दिनांक **02.06.2025** को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन इकाईयों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	खनन इकाई का नाम	एम.एल. नम्बर / रेफरेन्स नम्बर	खनन इकाई का क्षेत्रफल	खनन इकाई की उत्पादन क्षमता
1	मैसर्स श्री कृष्णा माईन्स एण्ड मिनरल्स	एम.एल. नम्बर 02/2024, रेफरेन्स नम्बर 202410000102634	3.9789 हैक्टेयर	5,77,475 टी.पी.ए. (रोम)
2	मैसर्स श्री दीपक कुमार	एम.एल. नम्बर 42/2022	9.5942 हैक्टेयर	3,45,250 टी.पी.ए. (रोम)
3	मैसर्स बॉलकेम कॉर्पोरेशन	एम.एल. नम्बर 25/2021	3.9905 हैक्टेयर	3,45,900 टी.पी.ए. (रोम)
4	मैसर्स श्री कस्तुरा राम	एम.एल. नम्बर 39/2018	3.1891 हैक्टेयर	2,12,500 टी.पी.ए. (रोम)
5	मैसर्स बॉलकेम कॉर्पोरेशन	एम.एल. नम्बर 04/2023	7.1009 हैक्टेयर	5,69,350 टी.पी.ए. (रोम)
6	मैसर्स बॉलकेम माईनिंग कम्पनी	एम.एल. नम्बर 24/2021	3.7483 हैक्टेयर	3,60,360 टी.पी.ए. (रोम)
7	मैसर्स श्रीमति अलका डागा	एम.एल. नम्बर 33/2020	3.9788 हैक्टेयर	4,32,724 टी.पी.ए. (रोम)

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर **परिशिष्ट "अ"** पर सलंग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 01.05.2025 को समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ **परिशिष्ट "ब"** पर संलग्न है।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर का क्षेत्रीय अधिकारी. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित होने हेतु स्वीकृति पत्र **परिशिष्ट "स"** पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर के प्रतिनिधि ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते है। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेगें। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स श्री कृष्णा माईन्स एण्ड मिनरल्स** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स वाइब्रेंट टैक्नो लैब प्रा.लि."** को आमंत्रित किया गया।

परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **"मैसर्स वाइब्रेट टैक्नोलैब प्रा.लि."** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना निकट ग्राम खारी चारनान, तहसील–कोलायत जिला–बीकानेर में अप्रधान खनिज–बॉल क्ले एवं सिलिका सेंड के खनन हेतु प्रस्तावित है **जिसका रेफरेन्स नम्बर 202410000102634 एम.एल. नम्बर 02/2024**, कुल खनन क्षेत्रफल **3.9789** हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता **5,77,475 टी.पी.ए. (रोम) {कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 35.5807 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–28,43,559 टी.पी.ए.(रोम)}** होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के प्रतिनिधि द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

सर्वप्रथम श्री गणपत चंद कुमावत निवासी खारी चारनान द्वारा आग्रह किया गया कि क्षेत्र में संचालित खनन ईकाईयों में आवारा पशु गिर कर मर जाते है। इसकी रोकथाम हेतु खनन इकाईयों के चारो तरफ तारबंदी करवायी जानी चाहिये। साथ ही श्री गणपत चंद कुमावत द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि खनन इकाई से कुछ दूरी पर पशुओं हेतु पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करते हुए खनन इकाईयों द्वारा कुंड का निर्माण करवाया जाना चाहिये। जिसके प्रत्युत्तर में खनन इकाई के प्रतिनिधि श्री रोनक बोथरा द्वारा खनन इकाई के चारों तरफ तारबंदी करवाने एवं पशुओं हेतु पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु कुंड का निर्माण करवाने का आश्वासन दिया गया।

तत्पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित लोगों को आक्षेप/आपत्ति/सुझाव देने हेतु पुनः निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, कोलायत द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा गया कि खनन इकाई को पर्यावरण स्वीकृति जारी करना राज्य का विषय है एवं खनन पर राज्य का अधिकार होता है। कोलायत क्षेत्र में विभिन्न खनिज बहुतायत मात्रा में पाये जाते है। खनन के दौरान पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सरकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया रखी गयी है जिस हेतु स्थानीय निवासियों के आक्षेप/आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने हेतु जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। क्षेत्र के विकास के लिये खनन करना आवश्यक है क्योंकि इससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है लेकिन साथ ही पर्यावरण पर इसका दुष्प्रभाव न हो एवं स्थानीय निवासियों को सहुलियत एवं रोजगार प्राप्त हो इस हेतु खनन ईकाईयों द्वारा नियमों के अनुसार ही खनन करना चाहिये एवं गुणवत्ता पूर्वक कार्य करना चाहिये जिससे ज्यादा से ज्यादा स्थानीय निवासियों को रोजगार मिले साथ ही आमजन को परेशानी न हो। खनन कार्य के दौरान पशुओं का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये। खनन गतिविधियों के दौरान यदि कोई दुर्धटना हो जाती है तो मानवीय धर्म का पालन करते हुए यथा सम्भव सहयोग किया जाना चाहिये। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा यही भी बताया गया कि आगामी मानसून काल में सरकार द्वारा मिशन 'हरियालो राजस्थान' के अन्तर्गत पर्यावरण को हरा-भरा बनाने के उद्देश्य से सघन पौधारोपण किया जायेगा जिसमें आमजन का सहयोग नितान्त आवश्यक एवं आपेक्षित है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित आमजन से स्थानीय पौधों को ही प्राथमिकता से लगाने का निवेदन किया गया एवं पौधारोपण के पश्चात पौधों की देखभाल करने का भी निवेदन किया गया जिससे पर्यावरण को हरा-भरा बना कर प्रदूषण नियंत्रण के उचित उपाय किये जा सके। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा उद्यमियों से भी निवेदन किया गया कि औद्योगिक गतिविधियों के साथ-साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी ईमानदारी से किया जाना चाहिये एवं सरकार की रीति-निति के तहत ही खनन कार्य किया जाना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

अन्त में ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(गिरीश व्यास)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर

(राजेश कुमार नायक)
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
कोलायत, जिला-बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री कृष्णा माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 02/2024, रेफरेन्स नम्बर 20241000102634, क्षेत्रफल 3.9789 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 5,77,475 टी.पी.ए. (रोम), (सेलेबल बॉल क्ले–3,37,522.5 टी.पी.ए., सेलेबल सिलिका सेंड– 1,41,715 टी.पी.ए. एवं वेस्ट–98,237.5 टी.पी.ए.) निकट ग्राम–खारी चारनान, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना {मैसर्स श्री कृष्णा माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 02/2024, रेफरेन्स नम्बर 20241000102634, क्षेत्रफल 3.9789 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 5,77,475 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री दीपक कुमार, एम.एल. नम्बर 42/2022, क्षेत्रफल 9.5942 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,45,250 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स बॉलकेम कॉर्पोरेशन, एम.एल. नम्बर 25/2021, क्षेत्रफल 3.9905 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,45,900 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री कस्तुरा राम, एम.एल. नम्बर 39/2018, क्षेत्रफल 3.1891 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,12,500 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स बॉलकेम कॉर्पोरेशन, एम.एल. नम्बर 04/2023, क्षेत्रफल 7.1009 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 5,69,350 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स बॉलकेम माईनिंग कम्पनी, एम.एल. नम्बर 24/2021, क्षेत्रफल 3.7483 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 3,60,360 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्रीमति अलका डागा, एम.एल. नम्बर 33/2020, क्षेत्रफल 3.9788 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,32,724 टी.पी.ए. (रोम)} कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 35.5807 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता–28,43559 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है में बॉल क्ले एवं सिलिका सेंड के खनन की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 02.06.2025 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थानः– ग्राम पंचायत भवन खारी चारनान, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर
दिनांकः–02.06.2025 समय प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग / कार्यालय / निवासी	हस्ताक्षर
1.	Rajesh Kr. Nayak	SDO, Kolayat	[signature]
2.	Girish Vyas	AEE, RSPCB, BKN	Girish 2/6/2025
3.			
4.	ROUNAK BOTHRA	Partner	[signature]
5.	[illegible]	BeKANER	[signature]
6.	Rajkumar Yadav	Vibrant tencolab Pvt Ltd	Raj
7.	Manisha Tanwar	Vibrant technolab P.V.t LTD	Manisha.
8.	Deepika Purohit	Vibrant Technolab pvt. Ltd.	Deepika

9.	राजेश कुमार	खारी चारणान	राजेश
10.	रूपेश कुमार	खारी चारणान	[illegible]
11.	लक्ष्य	बीकानेर	Lakshya
12.	तरुणा	बीकानेर	Tarun
13.	प्रेम यादव	उदयरामसर बीकानेर	[illegible]
14.	पीयूष	गंगाशहर, बीकानेर	Piyush Jegani
15.	कैलाशचन्द	खारी चारणान	कैलाशचन्द
16.	रामरतन	खारी चारणान	रामरतन
17.	गणपत गोदारा	खारी चारणान	[illegible] 9982869547
18.	हितेन्द्र शर्मा	बीकानेर	हितेन्द्र शर्मा
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			

☎ 0151-2250006

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No SPL-33, Phase-2nd, Bhichhwal Indusrial Area,
Bikaner – 334001
Email:-ro.bikaner@gmail.com environnment.rajasthan.gov.in

राप्रनिम / क्षे.का. / बीका / बी.एम.–774 646-647 दिनांक 01/06/2025

उपखण्ड अधिकारी
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,
कोलायत, जिला–बीकानेर

विषयः– खनन परियोजना मैसर्स श्री कृष्णा माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 02 / 2024 रेफरेन्स नम्बर 202410000102634, निकट ग्राम खारी चारनान, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जन सुनवाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स श्री कृष्णा माईन्स एण्ड मिनरल्स, एम.एल. नम्बर 02 / 2024 रेफरेन्स नम्बर 202410000102634, निकट ग्राम खारी चारनान, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 02.06.2025 को प्रातः 11.00 बजे ग्राम पंचायत भवन खारी चारनान, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर में आयोजित की जानी है।

इसी क्रम में लेख है अपरिहार्य कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता को जनसुनवाई में उपस्थित होने बाबत मनोनीत किया जाता है।

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय,

(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
OC

प्रतिलिपिः– श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

क्षेत्रीय अधिकारी
OC